



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. MGS/EN/RTI/77

Dated: 06.05.2025

AGM/Admn. (PIO),
DFCCIL, Corporate Office,
New Delhi

Sub: Providing information w.r.t original application received under the RTI Act, 2005.

Ref: DFCCIL R/T/25/00232 dt 21.04.25 (RTI No. 285)

With ref. to above-referred RTI, Para wise replies of questions raised by the applicant are enclosed herewith.

This has the approval of CGM/DDU.


(S.K. Mazumder)
DPM/Engg.-I/DDU
DFCCIL/Pt. DDU (MGS)

Copy to:

1. CGM/DDU kindly information please.
2. Dy. CPM/Engg-I/DDU kind information, please.

विषय :- लोक सूचना अधिकार अधिनिय-2005 के तहत लवली शर्मा, दिनांक 21.04.2025 के द्वारा मॉगी गयी सूचना का प्रेषण।

संदर्भ :- अपर महाप्रबंधक/प्रशा (ज. सू.अ) का ई-मेल दिनांक 22.04.2025

आवेदक के द्वारा मॉगी गयी सूचना कंडिकावार निम्न उपलब्ध है :-

क्रमांक	मॉगी गई सूचना	उत्तर
1	FO/JFO पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब के अनुसार आरती मिश्रा क्वालीफाई कर रही है जानकारी दीजिए।	कृपया क्वालिफिकेशन के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल का पत्र संख्या HQ-Fin0Admin/1/2023 (computer No. 24675) दिनांक 30.11.2023 देखें। केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय संख्या CIC/SS/A/2013/000838-YA Dated 28.05.2014 के अनुसार प्रश्नवाचक मॉगी गयी सूचना जैसे कैसे/क्यों/कब को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
2	FO/JFO पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जानकारी दीजिए।	कृपया क्वालिफिकेशन के लिए डी.एफ.सी.सी.आई.एल का पत्र संख्या HQ-Fin0Admin/1/2023 (computer No. 24675) दिनांक 30.11.2023 देखें।
3	FO/JFO पद के लिए MBA रेगुलर होना चाहिए या कॉर्रेस्पोंडेंस जानकारी दीजिए।	कृपया डी.एफ.सी.सी.आई.एल का पत्र संख्या HQ-Fin0Admin/1/2023 (computer No. 24675) दिनांक 30.11.2023 देखें।
4	आरती मिश्रा के द्वारा MBA रेगुलर किया गया है या कॉर्रेस्पोंडेंस जानकारी दीजिए।	चूकिं यह व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के धारा 8 (J) के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी देना सूचना के अधिकार अनिनियम के दायरे से बाहर है।
5	डी.एफ.सी. Advertisement के अनुसार रेगुलर और होना चाहिए क्या आरती मिश्रा को जिस पद पर रखा गया है उन्होंने किसी भी Govt./PSU JFO/FO में काम किया है जानकारी दीजिए एवं सटिफिकेट की कॉपी दीजिए।	चूकिं यह व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के धारा 8 (J) के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी देना सूचना के अधिकार अनिनियम के दायरे से बाहर है। केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय संख्या CIC/SS/A/2013/000838-YA Dated 28.05.2014 के अनुसार प्रश्नवाचक मॉगी गयी सूचना जैसे कैसे/क्यों/कब को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए यह देय नहीं है।
6	श्री RC उपाध्याय के द्वारा आरती मिश्रा को प्रयागराज से बुलाकर मुगलसराय JFO पद पर ज्वाइन क्यों करवाया गया जानकारी दीजिए।	केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय संख्या CIC/SS/A/2013/000838-YA Dated 28.05.2014 के अनुसार प्रश्नवाचक मॉगी गयी सूचना जैसे कैसे/क्यों/कब को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए यह देय नहीं है।
7	पिछले कई सालों से ये पोस्ट खाली थी तब श्री RC उपाध्याय जी ने क्यों नहीं भरा, जानकारी दीजिए।	केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय संख्या CIC/SS/A/2013/000838-YA Dated 28.05.2014 के अनुसार प्रश्नवाचक मॉगी गयी सूचना जैसे कैसे/क्यों/कब को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त सूचना संबंधित आवेदन को उपलब्ध कराया जा सकता है।

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/वित्त

[Handwritten Signature]

लोक सूचना अधिकारी/डी.डी.यू

[Handwritten Signature]
स.प.प्र./दिनांक